कार्यालय नगर पंचायत, लातेहार।

ज्ञापांक .... दिनांक ....

अतिअल्पकालीन दर आमंत्रण सूचना संख्या 02/2017–18

नगर पंचायत, लातेहार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डो में ग्रीष्मकालीन टैंकर द्वारा जलापूर्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति/नगर पंचायत, लातेहार में निबंधित संवेदक अलग–अलग ग्रुप के लिए बन्द लिफाफे में दर दे सकते है। पानी वितरण हेतु नगर पंचायत क्षेत्र को तीन ग्रुप में विभक्त किया गया है। ग्रुप नं0 1 (वार्ड नं0 01, 02, 07 एवं 08), ग्रुप नं0 2 (वार्ड नं0 3 से 06 तक), ग्रुप नं0 3 (वार्ड नं0 09 से 12तक) प्रति टैंकर की क्षमता 3000 ली0 की होगी। दर के साथ प्रत्येक ग्रुप के लिए मो0 3000 (तीन हजार रू0) का ड्राफ्ट जो कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, लातेहार के पदनाम से निर्गत होगा। तथा भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा पर भुगतेय होगा। साथ ही ट्रेक्टर एवं टैंकर की सभी कागजात तथा ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति देना अनिवार्य होगा। कोटेशन देने की तिथि 23.05.17 को 3.00 बजे तक होगी।

संवेदक को पानी वितरण का Log Book अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कराकर कार्यालय से प्राप्त करेंगे एवं प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वार्डों में आपूर्ति किये गये जलापूर्ति हेतु नगर प्रबंधक एवं कनीय अभियंता, नगर पंचायत, लातेहार से आपूर्ति की तिथि एवं समय Log Book में अंकित कर हस्ताक्षर कराना आवश्यक होगा। तथा निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तो का पालन करना होगा। नगर पंचायत, लातेहार द्वारा किसी भी प्रकार का **यंत्र–संयत्र/कर्मी/जलश्रोत** इत्यादि उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को कभी भी किसी भी स्थिति में आपूर्ति आदेश रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। तथा किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। विपत्रों का भुगतान, राशि उपलब्ध रहने पर ही किया जायेगा।

नियम एवं शर्त

1. शर्तयुक्त एवं अस्पष्ट निविदा मान्य नहीं होगा। मुहरबंद लिफाफा के उपर निविदा क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य है।
2. निविदा के साथ अद्यतन आयकर भुगतान प्रमाण–पत्र, वाणिज्य–कर सफाया प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण – पत्र की अभिप्रमाणित सुस्पष्ट प्रति जमा करना होगा।
3. इच्छुक व्यक्ति/संवेदक को ट्रैक्टर, पानी टंकी, इंधन, पानी निकालने हेतु पम्प का खर्च स्वयं वहन करना होगा।
4. प्रत्येक वार्ड में मांग/आवश्यकता के अनुसार जलापूर्ति की जा सकेगी।
5. जलापूर्ति की Monitoring व्यवस्थित तरीके से की जायेगी।
6. आपूर्ति टैंकरो का लॉकबुक प्रतिदिन कार्यालय में जमा की जायेगी।
7. इच्छुक व्यक्ति/संवेदकों का चयन विभागीय निदेशानुसार **"निविदा निस्तार समिति"** द्वारा किया जायेगा। बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा एक ही कार्य को एक से अधिक संवेदको के बीच बांटने का समस्त अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।
8. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समिति के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होगा।
9. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही कराये गये कार्यो का भुगतान सम्भव होगा।
10. किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद का निबटारा स्थानीय न्यायालय में ही किया जा सकेगा।
11. विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

15/5/17
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, लातेहार
15/5/17

ज्ञापांक 575 दिनांक 15-5-17

प्रतिलिपि :– डी0 आई0 ओ0, एन0 आई0 सी0 लातेहार को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निविदा को जिला के वेवसाईड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष/वार्ड पार्षद–सह–उपाध्यक्ष/सभी वार्ड पार्षद नगर पंचायत, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– उपायुक्त, लातेहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

15/5/17
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, लातेहार
15/5/17